इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 401] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई 2017—श्रावण 6, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2017

क्र. एफ-10-6-2015-एक-4.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-3-2007-एक-4 दिनांक 1 जनवरी 2008 द्वारा प्रदेश की प्राथमिकताओं एवं योजनाओं पर विचार हेतु भोपाल में आयोजित ''मंथन 2007'' कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में राज्य शासन, प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों को सर्वोत्कृष्ट स्वप्रेरक/नवाचार विचार **(Best Initiatives/Innovative Ideas)** के लिये मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार घोषित किया गया है. उक्त पुरस्कार हेतु विहित विनियमन संशोधन उपरान्त निम्नानुसार होगा :—

1. नाम प्रारंभ विस्तार—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नियम, 2007) है''.

(2) ये संशोधित नियम ''राजपत्र'' में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

(3) इन नियमों का विस्तार मध्यप्रदेश राज्य में होगा.

2. पुरस्कार का उद्देश्य, प्रकार एवं राशि.—पुरस्कार का उद्देश्य शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को पहल, नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहित करना है. यह पुरस्कार दिये जाने वाले वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष (अर्थात् 01 अप्रैल से 31 मार्च) में किये गये कार्य/कार्यों के लिए दिया जाएगा. यह पुरस्कार व्यक्ति/समूह/संस्था, तीनों श्रेणियों के लिये अलग-अलग पुरस्कार के स्थान पर व्यक्ति **(Individual)**/दल **(Team)** संस्था/ **(Institution)** की एक ही श्रेणी में से उपयुक्त प्रवृष्टियों को पुरस्कृत किया जा सकेगा. इस पुरस्कार की दो श्रेणियां होंगी.

(1) **मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार श्रेणी ''क''.—10 पुरस्कार (प्रत्येक के लिये पुरस्कार राशि 1.25 लाख एवं प्रशस्ति-पत्र)** यह पुरस्कार ऐसे प्रतिभागी जिनका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण प्रदेश, परिक्षेत्र अथवा एक से ज्यादा जिलों में विस्तारित हो, के लिये प्रदान किया जावेगा.

(2) **मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार श्रेणी ''ख''.—15 पुरस्कार (प्रत्येक के लिये पुरस्कार राशि 1.25 लाख एवं प्रशस्ति-पत्र)** यह पुरस्कार ऐसे प्रतिभागी जिनका कार्यक्षेत्र कोई जिला विशेष हो, के लिये प्रदान किया जावेगा.

2. समान परिस्थिति वाले जिले की प्रतिस्पर्धा समान जिले के साथ हो सके. इस हेतु प्रदेश के 51 जिलों को जनसंख्या, क्षेत्रफल तथा मानव विकास सूचकांक (अन्तिम प्रकाशित वर्ष 2005) के अधिभार **(Weightage)** के आधार पर निम्नानुसार तीन वर्गों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक वर्ग हेतु 05-05 पुरस्कार इस प्रकार कुल 15 पुरस्कार प्रावधानित है.

स. क्र.	वर्ग "अ" के जिले	वर्ग "ब" के जिले	वर्ग "स" के जिले
1	इन्दौर	बालाघाट	मंदसौर
2	छिन्दवाड़ा	खरगौन	बड़वानी
3	सागर	सिवनी	पन्ना
4	धार	देवास	गुना
5	भोपाल	बैतूल	मण्डला
6	जबलपुर	शिवपुरी	शहडोल
7	ग्वालियर	सीधी	टीकमगढ़
8	रीवा	रायसेन	नीमच
9	उज्जैन	भिण्ड	डिण्डोरी
10	सतना	शाजापुर	हरदा
11		छतरपुर	कटनी
12		विदिशा	श्योपुर
13		मुरैना	दतिया
14		होशंगाबाद	झाबुआ
15		दमोह	सिंगरौली
16		सीहोर	उमरिया
17		रतलाम	अशोकनगर
18		राजगढ़	अनूपपुर
19		नरसिंहपुर	बुरहानपुर
20		खण्डवा	अलीराजपुर
21			आगर

कुल पुरस्कारों की संख्या 10+15=25

नोट.—सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त समस्त चयनित प्रविष्टियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार में नामांकित होने का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा.

3. मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार व्यक्तियों **(Individual)**, दल **(Team)** तथा संस्था/ **(Institution)** द्वारा निम्न में से किसी एक अथवा अधिक श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य/कार्यों के लिए दिया जा सकेगा:—

(1) राज्य शासन द्वारा चिन्हित प्राथमिकता वाली योजनाओं/परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु किए गए नवाचार युक्त उत्कृष्ट योगदान हेतु.

(2) पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास आदि विषयों तथा पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के हित संरक्षण या प्रगति पर केन्द्रित अभिनव पहल (Initiative) हेतु.

(3) ऐसा उत्कृष्ट उपक्रम, जिसमें प्रक्रियाओं में व्यवस्थित बदलाव से लोक सेवा प्रदायगी व्यवस्था दक्ष अथवा/व भ्रष्टाचार मुक्त हुई हो या संस्थागत सुदृढ़िकरण हुआ हो, के लिए.

(4) अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये प्रेरणादायी व प्रोत्साहित करने वाला सेवा अथवा नेतृत्व के उत्कृष्ट उपक्रम के लिये.

(5) आपतकालीन परिस्थितियों-यथा बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदा, व्यापक प्रभाव वाली दुर्घटना आदि के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिये.

4. **आवेदन की प्रक्रिया.**—(1) पुरस्कार के लिये आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष अप्रैल माह में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक विज्ञापन प्रदेश स्तर के दो प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा, जिसका जिला स्तर पर उप संचालक, जन संपर्क द्वारा पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जायेगा.

(2) आवदेन-पत्र प्रस्तुत करने के लिये विज्ञापन की तारीख से 30 दिवस का समय दिया जायेगा.

(3) विज्ञापन में विहित अन्तिम तारीख तक प्रविष्टि इन नियमों में विहित प्रारूप तथा मय सुसंगत अभिलेख व प्रस्तुतिकरण के साथ निम्नानुसार कार्यालयों में प्रस्तुत की जावेगी.

(3.1) **श्रेणी "क"** के प्रतिभागी उनकी प्रविष्टियां संबंधित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख को कार्यालय प्रमुख के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे.

(3.2) **श्रेणी "ख"** के प्रतिभागी अपने आवेदन-पत्र कार्यालय प्रमुख के माध्यम से संबंधित सम्भागायुक्त को प्रस्तुत करेंगे.

(3.3) अपूर्ण प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा. ऑनलाईन आवेदन हेतु व्यवस्था होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य किये जाएंगे.

5. पुरस्कार वितरण की तिथि.—चयनित व्यक्ति (Individual) /दल (Team) / संस्था को पुरस्कार प्रतिवर्ष 1 नवम्बर अथवा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्धारित राजधानी भोपाल में आयोजित समारोह में प्रदान किया जायेगा.

6. आवेदन-पत्र पर विचार की प्रक्रिया.—(1) विज्ञापन में दी गई समय-सीमा के भीतर प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर ही विचार किया जावेगा. इस संबंध में किसी प्रकार के विलम्ब जैसे-डाक व्यवस्था आदि के कारण होने वाले विलम्ब को मान्य नहीं किया जावेगा.

(2) विज्ञापन में दी गयी समय-सीमा के भीतर प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों को कार्यालय में इस प्रयोजन के लिये रखे जाने वाले रजिस्टर में क्रमवार दर्ज किया जावेगा.

(3) **श्रेणी "क"** के प्रतिभागियों से प्राप्त प्रविष्टियों की स्क्रीनिंग करने हेतु संबंधित प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें विभागाध्यक्ष के अलावा तीन वरिष्ठ अधिकारी सहयोजित किए जाएंगे. यह स्क्रीनिंग कमेटी प्राप्त प्रविष्टयों में से अधिकतम तीन प्रवृष्टियों का चयन कर चयनित प्रविष्टि अनुशंसा सहित 15 अगस्त के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगी. अनुशंसा भेजते समय यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अनुशंसित प्रतिभागियों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच/आपराधिक मामला/गंभीर कदाचरण की कोई शिकायत प्रचलित न हो.

(4) **श्रेणी "ख"** के प्रतिभागियों से प्राप्त प्रविष्टियों के स्क्रीनिंग के लिये सम्भागायुक्त की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें सम्भाग के पुलिस महानिरीक्षक, वन संरक्षक, संभाग में पदस्थ दो कलेक्टर, जिन्हें संभागायुक्त सहयोजित करें, सदस्य होंगे. संभागायुक्त कार्यालय में पदस्थ उपायुक्त राजस्व अथवा विकास समिति के संयोजक सदस्य होंगे. प्राप्त प्रविष्टियों का परीक्षण कर सम्भाग स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी अधिकतम 05 प्रविष्टियों को अपनी अनुशंसा सहित सामान्य प्रशासन विभाग को 15 अगस्त तक प्रेषित करेगी. अनुशंसा भेजते समय यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अनुशंसित प्रतिभागियों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच/आपराधिक मामला/गंभीर कदाचरण की कोई शिकायत प्रचलित न हो.

7. समस्त प्रशासकीय विभागों/संभागायुक्तों से प्राप्त प्रस्तावों/अनुशंसा की जांच एवं पुरस्कार की पात्रता पर विचार कर पुरस्कार के चयन हेतु निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा विचार किया जायेगा :—

1.	महानिदेशक, प्रशासन अकादमी	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक, सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग	सदस्य
4.	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
5.	विकास आयुक्त	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	संयोजक सदस्य

8. चयन समिति अपनी कार्य प्रणाली, चयन की प्रक्रिया एवं चयन के मापदण्ड स्वत: निर्धारित करेगी.

9. समिति की बैठक प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में आयोजित की जाएगी जिसमें समस्त विभागों से प्राप्त अनुशंसित प्रस्तावों पर विचार कर पुरस्कार हेतु चयन किया जायेगा. चयन के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा.

10. कुल प्रावधानित पुरस्कारों की तुलना में समान संख्या अथवा कम संख्या में प्रविष्टि प्राप्त होने पर यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी प्रविष्टियों को पुरस्कार हेतु अन्तिम रूप से चयनित किया जाए. चयन समिति केवल उत्कृष्ट प्रविष्टियों को ही पुरस्कार हेतु चयनित कर सकेगी.

11. चयन समिति एक से अधिक प्रतिभागियों को संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार देने के लिये अनुशंसा कर सकेगी.

12. पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई अपील/अभ्यावेदन तथा प्रक्रिया से हटकर प्राप्त होने वाली अनुशंसा स्वीकार योग्य नहीं होगी.

13. यदि किसी वर्ष पुरस्कार हेतु उपयुक्त चयन नहीं होता है, तो उस वर्ष का पुरस्कार प्रदान नहीं किया जायेगा, और न ही पुरस्कार आगामी वर्ष के लिये अग्रणीत होगा.

14. पुरस्कार की स्वीकृति जारी होने के उपरांत स्वीकृत पुरस्कार राशि मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय द्वारा कोषालय से आहरित की जाकर, चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को प्रदान की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.